




General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनु

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

<p>मूलचन्द पुत्र पालाराम जाति गुर्जर निवासी बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनु राजस्थान।</p>	<p>- बनाम -</p>	<p>मामचन्द पुत्र रघोपाल जाति गुर्जर निवासी बिलवा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनु आदि।</p>
<p>किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</p>		<p>मु.नं. 74/2022 RCMS No</p>
<p>आदेश</p>	<p>कार्यवाही विवरण</p>	
<p>21.06.22</p>	<p>आज यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अनावेदकगण जारी हो। प्रतिवादीगण तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर होने पर तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक के खर्च पर जारी हो। पत्रवाली आयन्दा दिनांक 24.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">               दमयंती कंवर (R.A.S.)              ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)              नवलगढ़         </p> <p>24/6/22 पत्रवाली देना हुई। कथलाव परीक्षण उपरिष्ठ। वकील वकील/प्रतिवादी ने डेटा मांग रखी है। हेतु पुन अवसर बाका। अवसर दिया जाता है। निमत दिनांक 17/8/22 को बंगु हो</p> <p style="text-align: center;">               ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)              नवलगढ़         </p> <p>17/8/22 पत्रवाली देना हुई। वकील मांगेदर न मावेदक शर्त के कार-कार आज लागू है; परन्तु वकील ओर से डेट भी उपस्थित नहीं। कथलाव उपरिष्ठ पत्र बदल हाजरी एवं मदम पैरवी में खलि किया जाता है। पत्रवाली फैसल सुमाट होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तहसील आता दाखिल पत्र हो। निर्णय सुलेन्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)              नवलगढ़         </p>	

